

रात की मुट्ठी में सुबह भी है, शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो।
- अज्ञात

प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की शुरुआत

साफ है कि इस महत्वाकांक्षी योजना से देश के ग्रामीण समाज में एक बड़ी उथल-पुथल आने वाली है। भारत की दो-तिहाई आबादी आज भी गांवों में रहती है और इसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिसके पास न केवल अपना घर है बल्कि थोड़ी-बहुत कृषि योग्य जमीन भी है।

नवीन शाह।

हाल ही में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े कानून बनाए हैं। लेकिन अगर किसानों के पास अपनी जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हुए तो वे किसी कंपनी या व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? जाहिर है, कृषि सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए भी यह आवश्यक है कि किसानों के पास भू-स्वामित्व के कानूनी तौर पर मान्य सबूत मौजूद हों। प्रॉपर्टी कार्ड इस जरूरत को अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'स्वामित्व' योजना के तहत गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की शुरुआत की। आरंभ में इसके तहत छह राज्यों में फीले 750 गांवों के एक लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलने हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि अगले चार साल में पूरे देश के छह

लाख से ज्यादा गांवों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। साफ है कि इस महत्वाकांक्षी योजना से देश के ग्रामीण समाज में एक बड़ी उथल-पुथल आने वाली है। भारत की दो-तिहाई आबादी आज भी गांवों में रहती है और इसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जिसके पास न केवल अपना घर है बल्कि थोड़ी-बहुत कृषि योग्य जमीन भी है। लेकिन इस संपत्ति का मालिकाना साबित करने वाले दस्तावेज बहुत कम परिवारों के पास हैं। ऐसे में ये परिवार चाह कर भी अपनी इस संपत्ति पर बैंकों से कोई लोन नहीं ले सकते। न ही कानूनी तौर पर किसी से इस संपत्ति के आधार पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।

नतीजा यह कि देश की इस संपदा का पूंजीकरण नहीं हो पा रहा है। हाल ही में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े कानून

बनाए हैं। लेकिन अगर किसानों के पास अपनी जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हुए तो वे किसी कंपनी या व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? जाहिर है, कृषि सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए भी यह आवश्यक है कि किसानों के पास भू-स्वामित्व के कानूनी तौर पर मान्य सबूत मौजूद हों। प्रॉपर्टी कार्ड इस जरूरत को अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात इस सिलसिले में यह है कि गांवों में मामला चाहे जमीन का हो या पुश्तैनी मकान का, इसके स्वामित्व का सवाल देश के सबसे उलझे सवालों में एक है। पुश्त दर पुश्त आपसी समझदारी से काम चलता रहता है। लेकिन बात अगर कानूनी अधिकार की आएगी तो कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं होगा। जो अभी शहर में नौकरी से गुजारा

करते हैं और खेती से होने वाली उपज गांवों में रह रहे परिजनों के लिए छोड़े हुए हैं, वे भी मालिकाने के सवाल पर इंच-इंच नपा लेंगे। शादीशुदा बेटियां अपनी पैतृक संपत्ति में भले कोई दिलचस्पी न लेती हों, अपना कानूनी मालिकाना भला कैसे छोड़ देंगी? लब्बोलुआब यह कि इस 'सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेकनॉलजी इन विलेज एरियाज' यानी स्वामित्व मिशन के परिणामस्वरूप गांवों के हर घर में जबर्दस्त टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। यह सही है कि आवश्यक सुधारों को संभावित झगड़ों और विवादों के डर से अनंत काल तक स्थगित नहीं रखा जा सकता, लेकिन इतना जरूर सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ा जाए।

प्रतियोगिता की इज्जत

अशोक वोहरा।
कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कोई भी काम करते वक़्त आपके प्रतियोगी आपके बारे में क्या बुरा कह रहे है उससे विबने करने के

धर्म-दर्शन



आलावा खुद के काम पर ध्यान दे। प्रतियोगिता की इज्जत करना सीखें और कभी भी न डरे। अच्छी बातें या चीजें उन्हीं के रास्तों में आती हैं जो सब्र करते हैं, और सफल व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। एक ही रात में सफलता बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है और एक समाधानी सफलता वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त होती है। इसीलिए हमेशा धैर्य रखें, हमेशा आगे बढ़ने में ही ध्यान केन्द्रित करें और अपनी आँखें मिलने वाले पुरस्कार पर रखें। जब कभी भी सफल बनने की बात आती है, तब आपमें मिलो तक आगे चलने की इच्छा जागृत होती है।

संपादकीय

खेल छुपन-छुपाई का

टिकाऊ से जिताऊ पर आने का साइड इफेक्ट यह हुआ है कि सरकार गठन के वक्त ही नहीं, उसके बाद भी जब कभी कोई राजनीतिक संकट खड़ा होता है, पार्टियों की सबसे पहली प्राथमिकता अपने विधायकों को छुपाने की हो जाती है। पार्टियों को मालूम होता है कि ये जो लोग जीतकर आए हैं, उनका उनके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। विचारधारा के साथ भी उनका कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसे में उनका पाला बदलना बहुत आसान है। वे कभी भी पाला बदल सकते हैं। और ऐसा लगातार हो भी रहा है। दलबदल को रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून लाया गया और उसमें यह शर्त भी जोड़ी गई कि अगर दो तिहाई से कम सदस्य पार्टी से अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन खुद पार्टियों ने इस कानून को बेअसर बना दिया। उन्होंने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाने का नया ट्रेंड शुरू कर दिया। उपचुनाव में उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दे देते हैं। दलबदल कानून के जरिए सदस्यता जाने पर सदन के उस कार्यकाल में चुनाव लड़ने पर रोक होती है। जब इस तरह के खेल खेले जाने हैं तो फिर पार्टियों को टिकाऊ उम्मीदवारों की जरूरत भी नहीं रह गई है। कई मौकों पर तो ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि उम्मीदवार ने पार्टी की सदस्यता लेने की जरूरत भी नहीं समझी, और उसे टिकट मिल गया। वक्ती जरूरत की राह पर पार्टियां और उम्मीदवार दोनों ही चल पड़े हैं।

यह तय था कि जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस ने वापसी कर ली है तो राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों का ज्यादा चलना मुमकिन नहीं है।

विचार से बड़ा बना पैसा

नदीम ।।

जब कांशीराम जिंदा थे, और जब उनकी पार्टी ताकत बनने की दिशा में बढ़ रही थी, तब एक बड़ी पार्टी के नेता ने उनसे मुलाकात की। कांशीराम बहुत खरी-खरी बात कहने के लिए जाने जाते थे। उन्हें इस बात कोई फिक्र नहीं होती थी कि सामने वाले बंदे का स्टेटस क्या है। उन्हें जो कहना होता था, वे दो टूक बोल देते थे। उस नेता की कांशीराम से मुलाकात बीएसपी के ही एक मिशनरी के जरिए हुई थी। कांशीराम ने पूछा किस मकसद से मुलाकात करने आए हो, तो उनका जवाब था, बस आपके दर्शन का इच्छुक था। कांशीराम ने कहा कि कोई मेरे दर्शन बगैर किसी मकसद के नहीं करता है। अगर सिर्फ दर्शन का इरादा था, तो फिर दर्शन हो गए। अभी मुझे बहुत काम है। उस नेता ने घबराहट के साथ उस मिशनरी की तरफ देखा। उसने इशारा किया कि सीधे मकसद पर आ जाओ। नेता ने मकसद बताना शुरू किया, 'साहब, आपकी इजाजत हो, तो मैं आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। गारंटी है कि सीट आप ही जीतोगे।' कांशीराम ने कहा, 'आप गलत आदमी के पास आ गए हो। मुझे सीट जिताने वाले लोगों की तलाश नहीं है। मुझे तो टिकने वाले लोगों की तलाश है। अब आप जा



सकते हैं।' कम्परे में सन्नाटा छा गया, लेकिन कांशीराम बिल्कुल सामान्य थे, लगा कुछ हुआ ही नहीं। वे अब दूसरे लोगों से मुलाकात की तरफ बढ़ गए। यह बात दीगर है कि उनके न रहने के बाद अब उनकी पार्टी में टिकट दूसरी पार्टियों की तरह बंटने लगे हैं। इस प्रसंग का जिक्र इसलिए कि बिहार चुनाव के मौकों पर रातों रात दल बदलने का खेल बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है। जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, उन्हें दल और विचारधारा बदलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। टिकट पाना अब नेताओं की प्राथमिकता है, पार्टी चाहे कोई भी हो।

छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, 'विचारधारा आलमारी में टंगे कपड़ों की तरह नहीं होती कि आज दिल किया तो लाल रंग का कुर्ता पहन लिया, कल दिल हुआ तो काले रंग की शर्ट पहन ली। विचारधारा आत्मा की तरह होती है। जब कोई शख्स समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लालच में रात के अंधेरे में मुझसे मुलाकात करता है, तो उसे कोई शर्मिंदगी भले ही न हो रही होती हो, लेकिन मुझे जरूर कोपत हो रही होती है कि मुझे आज ऐसे किसी शख्स से बात करनी पड़ रही है, जिसकी आत्मा मर चुकी है।' जनेश्वर मिश्र ने उस इंटरव्यू में माना था कि 'बदलते दौर की राजनीति में कई मौकों पर वे अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो जाते हैं।'

ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि पार्टियों की प्राथमिकताएं बदलने लगी थीं। अब तो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। पार्टियां अब पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्हें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होते हैं। यह माना जाने लगा है कि अगर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए, तो कोई भी बंदा साथ छोड़कर जाने वाला नहीं है, उल्टे दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर जरूरी नंबर तक नहीं पहुंचे, तो रेस से बाहर हो जाने का खतरा तो होता ही है, साथ ही पार्टी टूटने का भी।

सूटोफु बवताल-5502	**** कठिन
2	5
1	8
7	4
9	1
3	6
8	5
5	3
6	2
4	7

सूटोफु बवताल-5501 का हल
2 3 6 8 5 1 4 9 7
9 4 5 7 6 3 8 2 1
1 7 8 2 9 4 6 5 3
3 1 9 6 7 2 5 4 8
5 6 2 1 4 8 3 7 9
7 8 4 5 3 9 1 6 2
4 9 1 3 2 5 7 8 6
8 2 7 4 1 6 9 3 5
6 5 3 9 8 7 2 1 4

अपना ब्लॉग 'इलेक्शन खर्च' जुटाने की झंझट नहीं

मोहन। पार्टियों को 'जिताऊ' उम्मीदवार इस मायने में भी 'मुनाफे का सौदा' लगते हैं कि उनके लिए 'इलेक्शन खर्च' जुटाने की झंझट नहीं होती। लोहिया के साथी रह चुके स्वर्गीय रामशरण दास पुराने दिनों को याद करते हुए बताया करते थे कि 'एक समय वह हुआ करता था जब पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को पूरा करने के लिए चंदा जुटाना पड़ता था।' लेकिन बाद के दिनों में टिकट उम्मीदवारों से यह पूछा जाने लगा कि वे चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं? जो जितना अमीर होता है, उसके टिकट पाने की गुंजाइश उतनी ही बढ़ जाया करती है। टिकट बंटने के वक्त अब यह सोचा ही नहीं जाता कि बंदा कितने दिन साथ रहेगा? राजनीतिक दलों के लिए पहले नंबर का 'खेल' मजबूत करना ज्यादा जरूरी हो गया है।

